पत्रांक–योजना बजट–322/2025–6135/प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–26/11/2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में ईको पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–2, बेतिया में ईको पर्यटन के तहत सम्पन्न किये जाने वाले कार्य हेतु कुल ₹52,94,334/– (बावन लाख चौरानवे हजार तीन सौ चौंतीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 में ईको पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–2, बेतिया में ईको पर्यटन के तहत सम्पन्न किये जाने वाले कार्य हेतु कुल ₹52,94,334/– (बावन लाख चौरानवे हजार तीन सौ चौंतीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–955, दिनांक–18.11.2025 एवं पत्रांक–1004 दिनांक–25.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव, लघु शीर्ष–112–सार्वजनिक उद्यान, उपशीर्ष–0101–इको पर्यटन एवं पार्क का विकास, मांग संख्या–19, विपत्र कोड–19–2406021120101 के विषय शीर्ष–0101.02.01–मजदूरी, 0101.27.01–लघु कार्य तथा 0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–2, बेतिया होगें तथा राशि की निकासी उनके संवद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक–2221 दिनांक–15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

–

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं PWD Code में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। असैनिक कार्य, सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो GeM/निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

12. संचिका संख्या-322/2025 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-25.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-25.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-25.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-26.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-322/2025-6135 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-26/11/2025

प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-322/2025-6135 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-26/11/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

अनु०-1

वन प्रमण्डल पदाधिकारी –सह– उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल–02, वेतिया।					
वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत ईको–टूरिज्म अंतर्गत सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव।					
कार्य विवरण	प्रक्षेत्र	ईकाई	इकाई दर	राशि	अभियुक्ति
[illegible] and renovation of Jungle [illegible]	Valmikinagar	1	1392589	1392589	अनु0–01 a (प्राक्कलन संलग्न)
[illegible] and renovation of Valmiki [illegible] resort rooms	Valmikinagar	1	1882136	~~1882136~~ 2585846	अनु0–01 b (प्राक्कलन संलग्न)
3 Construction of Proposed Parking area and Parking shed at VTR	Valmikinagar	1	1315899	1315899	अनु0–01 c (प्राक्कलन संलग्न)
कुल योग :–				~~4590624~~	

~~कुल रू० 4590624/– (रूपये पैंतालिस लाख नब्बे हजार छह सौ चौबीस मात्र)~~ 5294334

समर्पित :–

वन के क्षेत्र पदाधिकारी,
वाल्मीकिनगर वन प्रक्षेत्र

तकनीकि स्वीकृति :–
कुल रू० 4590624/– (रूपये पैंतालिस लाख नब्बे हजार छह सौ चौबीस मात्र)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी –सह– उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल–02, वेतिया।

प्रतिहस्ताक्षर :–
कुल रू० ~~4590624~~ 5294334/– ~~(रूपये पैंतालिस लाख नब्बे हजार छह सौ चौबीस मात्र)~~

6/11/25

वन संरक्षक –सह– क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, वेतिया।

10/11/25

Director
Ecology & Environment
Patna

D:\ACCOUNT\SCHEME\2025\Eco tourism 2025\2nd Scheme\new proposal25